

घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 और सामाजिक दायित्व

डॉ० गंगा देवी बैरागी

प्राध्यापक समाजशास्त्र, शास.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली, सीधी, मध्य प्रदेश।

Article Info

Volume 5, Issue 1
Page Number : 53-62

Publication Issue :

January-February-2022

Article History

Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

सारांश— हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से सन् 1947 में आजाद तो, हो, गया, पर हमारे समाज में स्त्रियों की गुलामी की जंजीर अभी तक खत्म नहीं होने को आ रही है। वैसे तो कई कवियों ने नारी की महिमा मंडन में कोई कसर नहीं छोड़ी है – जैसे नारी से नर होता है ध्रुव, प्रहलाद समान, इस वाक्योश पर गौर करें तो नारी, सिर्फ इसलिए पूजनीय है, कि ध्रुव प्रहलाद समान उसके पुत्र हैं।

मुख्य शब्द – महिला, हिंसा, संरक्षण, अधिनियम, सामाजिक, गुलामी, अशिक्षित।

पुराने समय में नारी को हमारे भारतीय समाज में कहा जाता था कि, वो पिता, पुत्र के अधीन रहे, तभी उसका जीवन सफल हो सकता है, हम अगर पीछे आज से, सौ वर्ष पहले चले जाएँ तो ये सच भी था। क्योंकि स्त्रियाँ अशिक्षित थीं। और अज्ञानता के कारण, पर्दा प्रथा के कारण वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करती थीं। इसी से उन्हें पिता, पुत्र और पति का साथ अत्यावश्यक था।

पर भारतीय समाज के बदलते परिवेश में अब स्त्रियाँ शिक्षित और आत्मनिर्भर हो चली हैं। पर कुछ चीजें आज भी नहीं बदली हैं, और वो हैं, घरेलू हिंसा, क्योंकि महिलाओं पर घरेलू हिंसा, जब हद से ज्यादा होने लगी तो सरकार की आखें खुली और घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया। घरेलू हिंसा – अर्थात्, घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। जैसे किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक, या यौन, शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना, जिसके साथ महिला के पारिवारिक सम्बन्ध हैं। अब हमें यहाँ यह सोचना पड़ेगा, कि आज के आधुनिक युग में जब स्त्रियाँ, पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। डाक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक और प्रशासनिक सेवाओं में हैं। तो अब तो घरेलू हिंसा बंद हो जानी चाहिए पर दुर्भाग्यवश ऐसा न, हो सका, आज भी घरेलू हिंसा है – पर स्वरूप थोड़ा बदल गया है। जैसे जिस महिला का पति उससे कमतर पद पर है तो वह ताने मारेगा कि,

अब तो आप वकील साहिबा है, मेरी क्या सुनेगी। आधुनिक युग में घरेलू हिंसा का स्वरूप बदला है। अब महिलाएं मानसिक रूप से ज्यादा प्रताड़ित हैं, और यदि, अफिस में वो ज्यादा बातचीत करती हैं, मान – सम्मान पाती हैं तो वहाँ पुरुष सहकर्मी ये भी कहते हैं कि अरे महिला है, इसी से प्रमोशन मिला होगा। सभी तरह की घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बनाया गया।

घरेलू हिंसा से महिलाओं, का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 –घरेलू हिंसा से महिलाओं, का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया। और 26 – 10 – 2006 से इसे देश भर में लागू किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य घरेलू रिश्तों में, महिलाओं को विधिक संरक्षण प्रदान करना है। भारत वर्ष में लगभग 70% महिलाएं किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का शिकार हैं।

1 घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा – “घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। “प्रतिवादी का कोई बर्ताव भूल या किसी और को काम करने के लिए नियुक्त करना घरेलू हिंसा में माना जाएगा।

(क) क्षति पहुँचाना, या जख्मी करना, या पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य, जीवन अंगों या हित को मानसिक या शारीरिक तौर से खतरे में डालना या ऐसा करने की नीयत रखना और इसमें शारीरिक, यौनिक, मौखिक, और भावनात्मक और आर्थिक शोषण, शामिल है।

(ख) दहेज, या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रति भूति की अवैध माँग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करना।

(ग) पीड़ित या उसके निकट सम्बन्धियों पर उपरोक्त वाक्यों (क) (ख) में सम्मिलित किसी आचरण के द्वारा दी गई धमकी का प्रभाव होना।

(घ) पीड़ित को शारीरिक या मानसिक तौर पर घायल करना या नुकसान पहुँचाना। शिकायत किया गया कोई व्यवहार या आचरण घरेलू हिंसा के दायरे में आते हैं या नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्य विशेष के आधार पर किया जाता है।

घरेलू हिंसा को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है—

(क) शारीरिक हिंसा – आरोपी का पीड़िता को शारीरिक कष्ट पहुँचाना, मारना, पीटना, बंधक बनाना शारीरिक – शोषण करना, डराना, धमकाना, आदि।

(ख) यौनिक हिंसा – यौनिक प्रकृति का ऐसा व्यवहार, जिससे महिला की गरिमा को ठेस पहुँचे यौन संबंधों के लिए दबाव डालना, पोर्न फिल्म बनाने हेतु विवश करना जबरन देह व्यापार कराना आदि।

(ग) मौखिक या भावात्मक हिंसा – अपमान करना, निः संतान होने पर बॉझ आदि की गाली देना, व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ कटाक्ष करना, आदि।

2. **भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप**— भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा के पीड़ित के रूप में महिलाओं के किसी भी रूप तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका को संरक्षित किया गया है। भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं –

- **महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा** – किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना जैसे—मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी बस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना, महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिये विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना, किसी महिला या लड़की को अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी शादी इच्छा विरुद्ध करना, आत्महत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना आदि। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार लगभग दो-तिहाई विवाहित भारतीय महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं और भारत में 15-49 आयुवर्ग की 70 प्रतिशत विवाहित महिलाएँ पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन शोषण का शिकार हैं।
- **पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा** – इस तथ्य पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है कि, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक गंभीर और बड़ी समस्या है, लेकिन भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। समाज में पुरुषों का वर्चस्व यह विश्वास दिलाता है कि वे घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। हाल ही में चंडीगढ़ और शिमला में सैकड़ों पुरुष इकट्ठा हुए, उन्होंने अपनी पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ की जाने वाली घरेलू हिंसा से बचाव और सुरक्षा की गुहार लगाई थी।
- **बच्चों के विरुद्ध घरेलू हिंसा** – हमारे समाज में और किशोरों को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। वास्तव में हिंसा का यह रूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बाद रिपोर्ट किये गए मामलों की संख्या में दूसरा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा भारत में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के परिवारों में इसके स्वरूप में बहुत भिन्नता है। शहरी क्षेत्रों में यह अधिक निजी है और घरों की चार दिवारों के भीतर छिपा हुआ है।
- **बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा** – घरेलू हिंसा के इस स्वरूप से तात्पर्य उस हिंसा से है, जो घर के बूढ़े लोगों के साथ अपने बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है। घरेलू हिंसा की यह श्रेणी भारत में अत्यधिक संवेदनशील होती जा रही है। इसमें बुजुर्गों के साथ मार-पीट करना, उनसे अत्यधिक घरेलू काम कराना, भोजन आदि न देना तथा उन्हें शेष पारिवारिक सदस्यों से अलग रखना शामिल है।

3-घरेलू हिंसा के कारण –

- **महिलाओं में अशिक्षा** – भारतीय समाज में महिलाएं अशिक्षित हैं, और उनका मानना है कि महिलाओं को पिता, पति और पुत्र के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि यही सोच उनके मन में बचपन से बैठा दी गई है कि यदि वह पिता पुत्र और पति के संरक्षण में रहेंगी तभी सुरक्षित रह सकती हैं। इसलिए पिता पुत्र और पति के द्वारा किए गए घरेलू हिंसा से अपने को कभी अपमानित महसूस नहीं करती और वह उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, और वह घरेलू हिंसा के इतने आदी हो जाते हैं, कि उनके मन की कोई बात नहीं हुई तो वह स्त्री को अपना गुलाम समझने लगते हैं। उन पर हर जायज नाजायज इच्छा को थपने का प्रयास करते हैं। यदि वह इस का कभी विरोध करती है तो उसको जला कर मार डालने तक कोशिश की जाती है। इस प्रकार घरेलू हिंसा की इस दशा के लिए स्त्रियां स्वयं ही जिम्मेदार होती हैं।
- **मनोवैज्ञानिक प्रभाव** – स्त्रियों को यह लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि वह शरीर से कमजोर हैं और अपने भाई पिता और परिवार पर निर्भर हैं वह अकेले कहीं आ जा नहीं सकती वह किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने में असमर्थ हैं। इन सब बातों का यह प्रभाव होता है कि, स्त्रियां मानसिक रूप से अपने आपको इस प्रकार ढाल लेती हैं कि पुरुषों के ऊपर आश्रित रहना या उनकी हिंसा को सहना ही उनकी नियत या भाग्य है, और वे घरेलू हिंसा से लगातार प्रताड़ित होती रहती हैं और इसकी शिकायत कभी भी किसी से नहीं करती हैं। झूठी मान मर्यादा का बोझ उठाने के लिए भी वे घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होती रहती हैं और किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं देती हैं उनको लगता है कि किसी से अपनी तकलीफ बताने से उनकी मान प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी।
- **आर्थिक रूप से आत्म निर्भर न होना** – हमारे समाज में ज्यादातर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती, वह पिता, पति और पुत्र के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर रहती हैं। इस कारण व घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं, तथा वह सोचती है कि यदि इनकी शिकायत मैने कर दी तो मेरा क्या होगा, मेरा गुजारा किस प्रकार होगा, मुझे तो रहने-खाने के लाले पड़ जाएंगे, ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं इसी वजह से घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं क्योंकि वह आत्मनिर्भर नहीं होती और अपने तथा बच्चों के पालन पोषण के लिए हमेशा चिंतित रहती हैं, घरेलू हिंसा को अपनी नियति मानकर सहती रहती हैं।
- **अपने आप को शारीरिक रूप से अक्षम समझना** – बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में यह बात डाल दी जाती है कि वह शारीरिक रूप से अक्षम हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा किसी न

किसी पुरुष वर्ग की आवश्यकता होती है चाहे वह पिता हो अथवा पुत्र हो, यही मानसिक भावना धीरे-धीरे उनके दिमाग में इस प्रकार बैठ जाती है कि, वह अपने आप को कमजोर समझने लगती हैं, और हमारे भारत जैसे देश में जहां पर शक्ति का रूप दुर्गा, धन का रूप लक्ष्मी तथा बुद्धि की देवी साक्षात् सरस्वती हैं। यह सब जानते हुए भी स्त्रियां आपने आप को शारीरिक रूप से कमजोर समझती हैं। यह सोच उनके दिमाग में इतनी गहरी बैठ जाती है कि वह लगातार घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं और उसका विरोध नहीं करती, चाहे वह शारीरिक रूप से कितनी भी सबल क्यों ना हो। उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वह लगातार घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं।

- **सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग** – हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह कि कि लोग क्या कहेंगे, अगर हम अपने ऊपर होने वाली घरेलू हिंसा की शिकायत किसी से करते हैं तो लोग क्यों कहेंगे? वह यह सोचेंगे कि इसी में कोई ना कोई खराबी होगी, तभी उसका पति उस पर हाथ उठाता है। यही झूठी मान सम्मान की भावना से प्रेरित होकर महिलाएं चुपचाप अपराध को सहन करती रहती हैं, और घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होकर अपना जीवन तक कभी-कभी खो बैठती हैं।

अन्य कारण –

- महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं।
- स्त्रियों के माइके से प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, साथी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना, स्वादिष्ट खाना न बनाना शामिल हैं।
- विवाहेत्तर संबंध में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखाभाल न करना, कुछ मामलों में महिलाओं में बॉझपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है।
- पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा के कारणों में पत्नियों के निर्देशों का पालन न करना, पुरुषों की अपर्याप्त कमाई, विवाहेत्तर संबंध, घरेलू गतिविधियों में पत्नी की मदद नहीं करना हैं। बच्चों की उचित देखभाल न करना, पति-पत्नी के परिवार को गाली देना, पुरुषों का बॉझपन आदि कारण हैं।
- बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में माता-पिता की सलाह और आदेशों की अवहेलना, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन या पढ़ोस के अन्य बच्चों के साथ बराबरी पर नहीं होना, माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहस करना आदि हो सकता है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में बाल श्रम, शारीरिक शोषण या पारिवारिक परंपराओं का पालन न करने के लिए उत्पीड़न, उन्हें घर पर रहने के लिये मजबूर करना और उन्हें स्कूल जाने की अनुमति न देना आदि हो सकते हैं।
- गरीब परिवारों में पैसे पाने के लिये माता-पिता द्वारा मंदबुद्धि बच्चों के शरीर के अंगों को बेचने की खबरें मिली हैं। यह घटना बच्चों के खिलाफ क्रूरता और हिंसा की उच्चता को दर्शाता है।
- वृद्ध लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मुख्य कारणों में बूढ़े माता-पिता के खर्चों को झेलने में बच्चे झिझकते हैं। वे अपने माता-पिता को भावनात्मक रूप से पिड़ित करते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिये उनकी पिटाई करते हैं।
- विभिन्न अवसरों पर परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिये उन्हें पीटा जाता है। बहुत ही सामान्य कारणों में से एक संपत्ति हथियाने के लिये दी गई यातना भी शामिल है।

4 घरेलू हिंसा के प्रभाव –

- यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है, तो उसके लिये इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता है। अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। उस व्यक्ति को स्थिर जीवनशैली की मुख्यधारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं।
- घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि, लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं।
- घरेलू हिंसा की यह सबसे खतरनाक और दुखद स्थिति है कि, जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं, अब वही हमें इस तरह का दुख देते हैं तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला कर लेता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं।
- घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। सीटी स्कैन से पता चलता है कि, जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा में अपना जीवन बिताया है, उनके मस्तिष्क का कॉर्पस कॉलोसम और हिप्पोकैम्पस नामक भाग सिकुड़ जाता है, जिससे उनकी सीखने, संज्ञानात्मक क्षमता और भावनात्मक विनियमन की शक्ति प्रभावित हो जाती है।

- बालक अपने पिता से गुस्सैल व आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। इस का असर ऐसे बच्चों का अन्य कमजोर बच्चों व जानवरों के साथ हिंसा करते हुए देखा जा सकता है।
- बालिकाएँ नाकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे प्रायः दबू, चुप-चुप रहने वाली या परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती हैं।
- प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हिंसा की शिकार हुई महिलाएँ सामाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेती हैं।

5 समाधान के उपाय –

- शोधकर्ताओं के अनुसार यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा के सभी पीड़ित आक्रामक नहीं होते हैं। हम उन्हें एक बेहतर वातावरण उपलब्ध करा कर घरेलू हिंसा के मानसिक विकार से बाहर निकाल सकते हैं।
- भारत अभी तक घरेलू हिंसा के हमलावरों की मानसिकता का अध्ययन करने, समझने और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करने के मामले में पिछड़ रहा है। हम अभी तक विशेषज्ञों द्वारा प्रचारित इस दृष्टिकोण की मोटे तौर पर अनदेखी कर रहे हैं कि, महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को सही मायनों में समाप्त करने के लिये हमें पुरुषों को न केवल समस्या का एक कारण, बल्कि उन्हें इस मामले के समाधान के अविभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा।
- सुधार लाने के लिये सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि, पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने के स्थान पर पुरुषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे-पिटे ढरों से छुटकारा पाना अनिवार्य होगा।
- सरकार ने महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को संसद से पारित कराया है। इस कानून में निहित सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिये यह समझना जरूरी है कि, पीड़ित कौन हैं? यदि आप एक महिला हैं और रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है, तो आप इस अधिनियम के तहत पीड़ित हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 द्वारा भारत मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो गया है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को घरेलू हिंसा से उबरने वाले परिवारों को, पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिये तंत्र विकसित करने की जरूरत है।

- सरकार ने वन-स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिये चिकित्सीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुँच को सुगम व सुनिश्चित करना है।

महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बाने में जागरूकता फैलाने के लिये वोग इण्डिया ने “लड़के रूलाते नहीं” अभियान चलाया, जबकि वैश्विक मानवाधिकार संगठन ब्रेकथ्रू द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ “बेल बजाओ” अभियान चलाया गया। ये दोनों ही अभियान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिये निजी स्तर पर किये गए शानदार प्रयास थे।

6 घरेलू हिंसा की शिकायत कौन-कौन दर्ज करा सकता है – उसका विवरण इस प्रकार है।

(क) पत्नियाँ/लिव इन पार्टनर, (ख) बहने (ग) माताएँ (घ) बेटियाँ

7 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं का संरक्षण— घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण अधिनियम के 2005 के फार्म में रिपोर्ट का स्वरूप दिया गया है। जिसमें पीड़िता की शिकायत में उसकी व्यक्तिगत, जानकारी, नाम आयु, पता, फोन बच्चों की जानकारी का उल्लेख रहता है घरेलू हिंसा की घटना का पूरा ब्योरा और प्रतिवादी का भी विवरण दिए जाने की जरूरत होती है। आवेदन में वांछित सहायता का भी उल्लेख होता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं का संरक्षण, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को निम्नलिखित सूची में से एक, या एकाधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। जो इस प्रकार है –

(क) सुरक्षा आदेश – धारा (18)

घरेलू हिंसा से पीड़िता की सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश, सुरक्षा आदेश होता है। इस आदेश के द्वारा अदालत प्रतिवादी को घरेलू हिंसा को करने, उसमें सहायता करने या हिंसा करने के लिए उकसाने, पीड़िता के काम करने या पढ़ने की जगह पर जाने, संयुक्त संपत्ति, जैसे बैंक खाते, लाकर आदि से पीड़िता के अलगाव या प्रतिवादी उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है।

(ख) आवास आदेश – धारा (1 से 7 और 19)

पारिवारिक संबंध में महिला को उसकी निजी संपत्ति के हक या अधिकार के बाबजूद, घर के साझा उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी या उसके परिजनो को उस साझे घर में घुसने पर रोक लगाई जा सकती है। और घर के किसी हिस्से में प्रवेश की मनाही की जा सकती है, जहाँ कि पीड़िता रहती है। प्रतिवादी को साझे घर को बेचने या दूर रहने या अपने अधिकार को छोड़ने की तब तक मनाही है, जब तक कि वह पीड़िता के लिए आवास की दूसरी व्यवस्था नहीं कर लेता। अगर वह किराए पर रहते हैं तो उसे किराए के भुगतान की भी व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिवादी को पीड़िता और उसके बच्चों को हुए नुकसान या घरेलू हिंसा के कारण हुए खर्च के लिए, हर्जाना भरने के लिए कहा जा सकता है। इस हर्जाने को किशतों में या एकमुस्त रकम के तौर पर भी भरा जा सकता है। हस प्रकार की सहायता में आय के नुकसान, इलाज का खर्च, विद्यालय के खर्च, पीड़िता और उसके बच्चों के भरण – पोषण के लिए खर्च देने को कहा जाता है। प्रतिवादी को, शारीरिक हानि, भावनात्मक अवसाद और मानसिक असंतोश के लिए क्षति, पूर्ति करने के लिए कहा जा सकता है।

(ग) आर्थिक सहायता – धारा (20 और 22)

अदालत पीड़िता और उसके बच्चों को हुए नुकसान या घरेलू हिंसा के कारण हुए खर्च के लिए हर्जाना भरने को प्रतिवादी को कह सकती है। इस हर्जाने को किस्त में या एकमुस्त रकम के तौर पर भरा जा सकता है। इस प्रकार की सहायता में पीड़िता के नुकसान इलाज का खर्च, बच्चों का खर्च भरण – पोषण का खर्च प्रतिवादी उठाता है।

घरेलू हिंसा के प्रति हमारा सामाजिक दायित्व— घरेलू हिंसा, और घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में सरकार ने घरेलू हिंसा को रोकने के अथक, प्रयास किए हैं। पर हम सब लोग समाज में रहते हैं और घरेलू हिंसा के प्रति, हमारा कुछ सामाजिक दायित्व भी बनता है। आइए हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं।

(1) पारिवारिक दायित्व – सर्वप्रथम तो हमें अपने परिवार से ही घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। जैसे – बच्चों में बचपन से लड़कें लड़कियों में भेदभाव न करें। अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाए। बालकों को महिलाओं का सम्मान करने की शिक्षा दें। बच्चों के सामने दंपति झगड़े न करें। एक दूसरे का सम्मान करें। बच्चे अपने परिवार में जो देखते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। तो यदि हमें समाज में किसी भी प्रकार का सुधार करना है, तो शुरुआत सबसे पहले हमें अपने घर से करनी होगी।

(2) आस पड़ोस के प्रति दायित्व – अपने आस – पड़ोस रिश्तेदारों में होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने का यथासंभव प्रयत्न अवश्य करें। यह नहीं कि, दूसरे के घर के मामलों में बीच में हम क्यों पड़े। कभी – कभी हमारी थोड़ी सी सजगता से किसी का जीवन बचाया जा सकता है।

इसी तारतम्य में वैश्विक मानव अधिकार संगठन द्वारा 20 अगस्त 2008 में संयुक्त राष्ट्रमहासचिव “बान की मून” ने भारत में घरेलू हिंसा और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, और लोगों के घर में घरेलू हिंसा के शक होने पर, संदिग्ध घर की घंटी बजाने की अपील की। जिससे किसी भी पीड़िता को घरेलू हिंसा से होने वाली अप्रिय घटना से बचाया जा सके। भारत में भी यह अभियान काफी लोकप्रिय हुआ।

(3) शिक्षा को बढ़ावा देना – हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम बालिकाओं, महिलाओं को शिक्षित, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करें। जिससे वो इस अप्रिय स्थिति से अपने आपको बचाने में सक्षम हों।

(4) बच्चियों को शारिरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएँ – हमें अपने बालकों की भौति बालिकाओं के खान, पान का ध्यान रखकर और शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा उनका उत्साह वर्धन करके मनोबल बढ़ाए रखना चाहिए, ताकि उनमें हीन भावना व्याप्त न हो। और उनका कोई शारीरिक, अथवा मानसिक शोषण न कर सकें।

(5) आत्म निर्भर बनाना – हमारा सबसे बड़ा दायित्व यह है कि, हम अपनी, बेटियों, बहुओं को शिक्षा दें और उन्हें आत्मनिर्भर बनने हेतु तैयार करें। ताकि वो किसी भी प्रकार की विवशता में घरेलू हिंसा से प्रताड़ित न हो सकें।

इस प्रकार मेरा यह मानना है कि, सिर्फ सरकार के घरेलू हिंसा अधिनियम कानून से ही हम संतुष्ट न हों, हमें अपने घर से अपने परिवार से, अपने कार्य क्षेत्र से अपने छात्राओं से लगातार यह संवाद स्थापित करते रहना चाहिए कि, घरेलू हिंसा अमानवीय है, हमें इसका विरोध करना चाहिए। एवं परिवार में ऐसी परिस्थिति ही उत्पन्न न की, जाए कि घरेलू हिंसा हो। आपसी सामंजस्य और सूझबूझ से हर कठिन से कठिन समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। क्योंकि हम मानव हैं, और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।

संदर्भ :-

1. सिंह वी०एल० और सिंह जनमेजय – आधुनिकता और नारी सशक्तीकरण।
2. Wikipedia – घरेलू हिंसा अधिनियम 2005।
3. www.drishties.com
4. इंटरनेट
5. www.aajtak.com
6. www.hindustantimes.com